

30/4/2022

अभिलेख उपस्थानित / देनदार द्वारा बकाया राशि कार्यालय के नजारेत शाखा में N.R. No. - 3409451, दिनांक - 13.04.2022 के द्वारा जमा किया गया है।

शाखा प्रबंधक SB2 के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि देनदार द्वारा अपनी घर राशि के 50% राशि जमा करने के पश्चात देनदार के संबंधित नीलाक घन बाढ़ लोक अदालत में आपत्ती समंजस के तहत निष्पादन किया जाता है।

वर्तमान में देनदार द्वारा 50% राशि जमा कर दिया गया है।

अतः लोक अदालत में नीलम पत्र वाद
निष्पादन की प्रत्याशा में अफिलैस की कार्रवाई
बंद की जाती है।

लैखापत्र

नीलम पत्र पदाधिकारी
याकुलिमा